कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 124/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 29.03.2026

प्रेस नोट

जनपद – आजमगढ़

दिनांक – 29.03.2026

आजमगढ़ पुलिस का बड़ा एक्शन – तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में हत्या के प्रयास, चोरी व गोवध कांड के 03 शातिर अपराधी घायल/गिरफ्तार

पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग, आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली अवैध तमंचा, जिन्दा/खोखा कारतूस, चोरी का माल व वाहन बरामद

आजमगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत जनपद पुलिस को लगातार बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। इसी क्रम में **थाना तरवां, थाना कोतवाली नगर व थाना गम्भीरपुर पुलिस** द्वारा अलग-अलग स्थानों पर हुई मुठभेड़ों में **तीन शातिर वांछित अभियुक्तों** को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। तीनों घटनाओं में अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई कार्रवाई में अभियुक्त घायल हुए और उन्हें मौके से गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

थाना तरवां, आजमगढ़-

पूर्व रंजिश में टैम्पू चालक पर जानलेवा फायरिंग करने वाला शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, अवैध तमंचा, कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 22.03.2026 को वादी श्याम नारायण मौर्य निवासी ग्राम सिंहपुर थाना तरवां पर जानलेवा फायरिंग की घटना में अभियुक्त रमेश यादव उर्फ अनार यादव पुत्र सदन यादव निवासी सिंहपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 55/2026 धारा 109 BNS पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त घटना के बाद से फरार चल रहा था।

दिनांक 28.03.2026 को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया, जो भागने लगा। पीछा करने पर बहलोलपुर स्थित रामप्रताप इंटर कॉलेज के पास अभियुक्त गिरकर उठा और

पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ में अभियुक्त ने स्वीकार किया कि पूर्व रंजिश के चलते उसने श्याम नारायण मौर्य की हत्या का प्रयास किया था तथा पुनः उसकी हत्या करने जा रहा था।

बरामदगी-

- ➡ 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर
- ➡ 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस
- ➡ ₹600 नकद
- ➡ मोटरसाइकिल संख्या UP50DC5337

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 60/2026 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. रमेश यादव उर्फ अनार यादव पुत्र सदन यादव निवासी सिंहपुर, थाना तरवां, जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त – रमेश यादव उर्फ अनार यादव)

1. मु0अ0सं0 55/2026 धारा 109 BNS थाना तरवां, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 60/2026 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

थाना कोतवाली नगर, आजमगढ़

मारपीट कर बैग, लैपटॉप व मोबाइल लूटने वाला अन्तर्जनपदीय शातिर बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार— पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्यवाही में घायल, अवैध तमंचा व चोरी का सामान बरामद

दिनांक 25.03.2026 को थाना कोतवाली क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक व्यक्ति से मारपीट कर बैग, लैपटॉप व मोबाइल चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इस संबंध में थाना स्थानीय पर वादी राममिलन यादव पुत्र स्व0 श्री सुखदेव प्रसाद निवासी हर्षनगर थाना कोतवाली रायबरेली की तहरीर पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

दिनांक 28.03.2026 को मोहती घाट क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम चकलालचन, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसके जवाब में पुलिस की कार्यवाही में उसके बाएं पैर में गोली लगी। अभियुक्त द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र में हुई लूट की घटना को स्वीकार किया जा रहा है।

बरामदगी-

➡ 01 अदद तमंचा .315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस

➡ चोरी का बैग, लैपटॉप व मोबाइल फोन

➡ चोरी की मोटरसाइकिल

पंजीकृत अभियोगः-

01. मु0अ0सं0 138/2026 धारा 109(1)/3(5)/303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/338 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद आजमगढ़

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

01. धर्मेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम चकलालचन, थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त – धर्मेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह)

1. मु0अ0सं0 696/2022 धारा 308/323/504/506/34 भादवि थाना जीयनपुर, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 132/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/303(2) BNS थाना कोतवाली नगर, जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 138/2026 धारा 109(1)/3(5)/303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/338 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर, जनपद आजमगढ़

थाना गम्भीरपुर, आजमगढ़

प्रतिबंधित पशुओं का वध कर प्रतिबंधित मांस तस्करी करने वाला वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार—पुलिस पर फायरिंग, जवाबी कार्यवाही में पैर में लगी गोली, अवैध असलहा, कारतूस बरामद

दिनांक 28.03.2026 को थाना गंभीरपुर पर रईस अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक निवासी ग्राम कमरावा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ के घर में प्रतिबंधित पशु का मांस होने की सूचना प्राप्त हुई। जिसके आधार पर पुलिस द्वारा तत्काल दबिश देकर अभियुक्त सरफराज अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक को 65 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार किया गया जिसमें अभियुक्त रईस अहमद उपरोक्त व शादाब अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक मौके से फरार हो गये थे। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 82/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अभियुक्त उपरोक्त आदि 03 नफर के विरुद्ध पंजीकृत कर अन्य अभियुक्त के गिरफ्तारी हेतु प्रयास किया जा रहा था। जिसके क्रम में --

दिनांक 29.03.2026 को प्रातः 03:45 बजे रोहुआ मुस्तफाबाद क्षेत्र में पुलिस द्वारा घेराबंदी के दौरान अभियुक्त शादाब अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक, निवासी कमरावा, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ में की गयी जवाबी कार्यवाही में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। पुलिस जवाबी कार्यवाही में अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि वह अपने भाई सरफराज अहमद व रईश अहमद के साथ मिलकर संगठित रूप से प्रतिबंधित पशुओं का वध कर उनके मांस की अवैध बिक्री करते हैं। इस कार्य के लिए वे लोग स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP32CD8786 का प्रयोग करते हैं तथा कभी-कभी बुलेट मोटरसाइकिल संख्या MH03BK4356 से भी मांस को विभिन्न स्थानों पर ले जाकर बेचते हैं। अभियुक्त ने बताया कि यही उनका मुख्य पेशा है और इसी से वे अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। दिनांक घटना को सायंकाल वे लोग अपने घर के बरामदे में प्लास्टिक की बोरियों में प्रतिबंधित मांस भर रहे थे, तभी पुलिस टीम के पहुंचने की आहट मिलते ही वह तथा उसका भाई रईश अहमद घबराकर घर के पिछले दरवाजे से फरार हो गए, जबकि पुलिस टीम द्वारा मौके से उसके भाई सरफराज अहमद को पकड़ लिया गया।

बरामदगी-

- ➡ 01 अदद तमंचा (.303 बोर)
- ➡ 01 अदद जिन्दा कारतूस व 01 अदद खोखा कारतूस

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 109(1) BNS व 7/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

घायल/गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

01. शादाब अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक, निवासी कमरावा, थाना गंभीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष

आपराधिक इतिहास (अभियुक्त – शादाब अहमद)-

1. मु0अ0सं0 82/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 109(1) BNS व 7/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम-

तीनों मुठभेड़ों में सम्बन्धित थानों की पुलिस टीमों द्वारा उच्च साहस, सतर्कता व तत्परता का परिचय देते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। थानाध्यक्षगण, उपनिरीक्षकगण एवं पुलिस बल की सराहनीय भूमिका रही।

प्रेस नोट
थाना – गम्भीरपुर, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 30.03.2026

गोवध कर मांस तस्करी करने वाले गिरोह पर पुलिस का बड़ा प्रहार – 65 किग्रा गोमांस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, उसी प्रकरण में वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार; अवैध तमंचा, कारतूस व वाहन बरामद, एक अन्य अभियुक्त फरार

पुलिस टीम पर फायरिंग के बीच पुलिस की साहसिक कार्यवाही – पूर्व बरामदगी से लेकर मुठभेड़ तक क्रमिक पुलिस ऑपरेशन में संगठित गिरोह का खुलासा, अपराध नियंत्रण अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर के नेतृत्व में गोवध व मांस तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस द्वारा एक ही प्रकरण में क्रमिक व प्रभावी कार्रवाई करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

पूर्व की घटना/इतिहास एवं प्रारंभिक कार्यवाही-

दिनांक 28.03.2026 को उ0नि0 संजय कुमार सिंह मय पुलिस टीम के साथ खुर्रमपुर तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग में मौजूद थे, तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम कमरावा निवासी रईश अहमद के घर पर प्रतिबंधित पशु का मांस रखा है, जिसे बेचने की तैयारी की जा रही है। सूचना पर तत्काल दबिश दी गई, जहां से अभियुक्त **सरफराज अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक** को उसके घर से **03 बोरियों में कुल 65 किग्रा प्रतिबंधित मांस** के साथ समय करीब **19:10 बजे** गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके साथी **रईश अहमद व शादाब अहमद (गिरफ्तार अभियुक्त के भाई)** मौके से फरार हो गए। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर **मु0अ0सं0 82/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम** पंजीकृत किया गया तथा फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी। जिसके क्रम में--

मुठभेड़/गिरफ्तारी का विवरण (उक्त प्रकरण में आगे की कार्यवाही)

दिनांक 29.03.2026 की रात्रि में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त प्रकरण में वांछित अभियुक्त **शादाब अहमद** बुलेट मोटरसाइकिल से कमरावा से मोहम्मदपुर होते हुए आजमगढ़ जाने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा धरनीपुर-विषया मोड़ के पास घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध बुलेट सवार को रोकने का प्रयास किया गया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा और अनियंत्रित होकर गिर गया। स्वयं को घिरा देखकर अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त के **बाएं पैर (घुटने के नीचे)** गोली लगी और उसे समय करीब **01:45 बजे रात्रि** गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुहम्मदपुर भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण व पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्त **शादाब अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक निवासी ग्राम कमरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 40 वर्ष** ने पूछताछ में बताया कि वह अपने भाई सरफराज व रईश अहमद के साथ मिलकर संगठित रूप से गोवंश का वध कर उसके मांस की बिक्री करते हैं। इस कार्य हेतु वे स्कॉर्पियो वाहन संख्या UP32CD8786 व बुलेट मोटरसाइकिल का प्रयोग करते थे।

बरामदगी-

- ➡ **(पूर्व कार्यवाही में)** 03 बोरियों में कुल 65 किग्रा गोमांस
- ➡ **(मुठभेड़ स्थल से)**
- ➡ 01 अदद देशी तमंचा .303 बोर
- ➡ 01 अदद जिन्दा कारतूस .303 बोर
- ➡ 01 अदद खोखा कारतूस .303 बोर
- ➡ 01 अदद बुलेट मोटरसाइकिल (MH03BK4356)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 82/2026 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

2. मु0अ0सं0 83/2026 धारा 109(1) BNS व 7/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

➡ सरफराज अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक निवासी ग्राम कमरावा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

➡ शादाब अहमद पुत्र स्व0 अब्दुल रज्जाक निवासी ग्राम कमरावा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 संजय कुमार सिंह, उ0नि0 चन्द्र प्रकाश कश्यप, उ0नि0 योगेश सरोज, उ0नि0 विपिन द्विवेदी, उ0नि0 यशवंत सिंह, उ0नि0 रामाश्रय प्रसाद, उ0नि0 सूरज चौधरी सहित पुलिस टीम द्वारा साहस, सतर्कता एवं तत्परता का परिचय देते हुए उक्त कार्रवाई को सफल बनाया गया।

प्रेस नोट
थाना – तरवां, जनपद – आजमगढ़
दिनांक – 28.03.2026

हत्या के प्रयास में वांछित अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ – फायरिंग के बीच घायल कर दबोचा, अवैध तमंचा व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

तरवां पुलिस की त्वरित घेराबंदी व साहसिक कार्रवाई – भागते बदमाश को 21:45 बजे पकड़ा, पुनः वारदात की साजिश नाकाम

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष तरवां के नेतृत्व में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरवां पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 22.03.2026 को वादी **श्याम नरायन मौर्या पुत्र स्व0 जनार्दन मौर्या निवासी ग्राम सिंहपुर पोस्ट महोली थाना तरवां जनपद आजमगढ़** द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि जब वह अपनी टैम्पू से चकिया बाजार से घर लौट रहे थे, तभी ग्राम सिंहपुर में सतीश दुबे के घर के पास अभियुक्त **रमेश यादव उर्फ अनार यादव** द्वारा मोटरसाइकिल से पीछा कर जान से मारने की नियत से फायर किया गया, जिससे वादी के बाएं हाथ में गोली लगी।इस संबंध में थाना तरवां पर **मु0अ0सं0 55/2026 धारा 109 BNS** पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु लगातार दबिश दी जा रही थी।

मुठभेड़/गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 28.03.2026 को थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार मय पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान भिलिहिली-गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि उक्त मुकदमे में वांछित अभियुक्त मोटरसाइकिल से गाजीपुर से तरवां की ओर आ रहा है। सूचना पर संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु अभियुक्त तेज गति से भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया तथा अन्य टीमों को अलर्ट कर घेराबंदी की गई। बहलोलपुर स्थित रामप्रताप इंटर कॉलेज के पास अभियुक्त मोटरसाइकिल सहित फिसलकर गिर गया, किन्तु तुरंत खड़े होकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दिए जाने के बावजूद अभियुक्त द्वारा पुनः फायरिंग का प्रयास किया गया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर (घुटने के नीचे) गोली लगी। तत्पश्चात समय करीब **21:45 बजे** अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया तथा घायल अवस्था में उपचार हेतु एम्बुलेंस द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तरवां भेजा गया।

अभियुक्त का विवरण व पूछताछ-

गिरफ्तार अभियुक्त **रमेश यादव उर्फ अनार यादव पुत्र सदन यादव निवासी ग्राम सिंहपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 28 वर्ष** ने पूछताछ में बताया कि उसका वादी से पूर्व में विवाद हुआ था, जिसके कारण उसने दिनांक 22.03.2026 को जान से मारने की नीयत से फायर किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह लगातार स्थान बदल-बदलकर छिपता रहा। घटना में वादी की मृत्यु न होने के कारण वह पुनः उसे मारने की योजना बनाकर जा रहा था, तभी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया।

बरामदगी-

- ➡ 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर
- ➡ 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
- ➡ 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर
- ➡ जामा तलाशी से ₹600/-
- ➡ 01 अदद मोटरसाइकिल संख्या UP50DC5337 (घटना में प्रयुक्त)

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 55/2026 धारा 109 BNS थाना तरवां जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 60/2026 धारा 109 BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रमेश यादव उर्फ अनार यादव पुत्र सदन यादव निवासी ग्राम सिंहपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल कुमार मिश्रा, उ0नि0 रंजन कुमार साव, का0 महेश यादव, का0 सौरव सिंह, का0 अजय कुमार, का0 प्रवीन कुमार, का0 अमित कुमार सहित पुलिस टीम द्वारा साहस एवं तत्परता का परिचय देते हुए उक्त कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न की गई।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 29.03.2026

थाना- कोतवाली, जनपद आजमगढ़

शिवाजीनगर हीरापट्टी घटना का खुलासा – शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, चोरी का सामान व अवैध असलहा बरामद

पुलिस टीम पर फायरिंग के बीच पुलिस की साहसिक कार्रवाई – घेराबंदी, जवाबी फायरिंग व प्रभावी ऑपरेशन में अभियुक्त गिरफ्तार

डॉ0 अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए एक शातिर अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई।

पूर्व की घटना/इतिहास एवं प्रारंभिक कार्यवाही-

दिनांक 25.03.2026 को शिवाजीनगर हीरापट्टी क्षेत्र में जियो कंपनी के एरिया मैनेजर के साथ मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी देते हुए लैपटॉप व मोबाइल चोरी/छीनने की घटना कारित की गई थी। इस संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 132/2026 धारा 115(2)/352/351(3)/303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान साक्ष्य संकलन एवं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों धर्मेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह, अंशुमान सिंह व राहुल राय का नाम प्रकाश में आया, जिनकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी।

पुलिस मुठभेड़/गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 28.03.2026 को प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि उक्त घटना में शामिल अभियुक्त अवैध असलहे व चोरी का सामान लेकर मोहती घाट क्षेत्र में एकत्रित हैं। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। कुछ ही देर में एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वे भागने लगे और मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। स्वयं को घिरा देख अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मसमर्पण हेतु चेतावनी दिए जाने के बावजूद फायरिंग जारी रखने पर आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक अभियुक्त धर्मेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह के बाएं पैर में गोली लगी। घायल अभियुक्त को समय करीब 23:52 बजे मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके दो साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया।

अपराध का तरीका/पूछताछ-

➡ अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसने अपने साथियों अंशुमान सिंह व राहुल राय के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था।

➡ जियो कंपनी के एरिया मैनेजर से विवाद के चलते योजनाबद्ध तरीके से मारपीट कर उसका लैपटॉप व मोबाइल छीन लिया गया।

➡ घटना के बाद अभियुक्तगण लगातार ठिकाना बदलते रहे तथा चोरी किए गए सामान को बेचने की फिराक में थे।

➡ पुलिस से बचने एवं लोगों को डराने हेतु अवैध असलहे रखते हैं तथा पकड़े जाने की स्थिति में फायरिंग कर भागने का प्रयास करते हैं।

बरामदगी-

➡ 01 अदद देशी तमंचा .315 बोर

➡ 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

➡ 01 अदद खोखा कारतूस .315 बोर

➡ 02 अदद 9MM खोखा कारतूस (पुलिस पार्टी)

➡ 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल (फर्जी नंबर प्लेट लगी)

➡ 01 अदद बैग (डेल कंपनी, काला रंग)

➡ 01 अदद लैपटॉप (एचपी, सिल्वर रंग)

➡ 01 अदद लैपटॉप चार्जर, हार्ड डिस्क, माउस

➡ 01 अदद मोबाइल (मोटोरोला, हरा रंग)

➡ जामा तलाशी से 150 रुपये

पंजीकृत/वृद्धित धाराएं-

मु0अ0सं0 132/2026 में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध धारा 109(1)/3(5)/303(2)/317(2)/318(4)/336(3)/338 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्त-

➡ धर्मेन्द्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी ग्राम चकलालचन थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 35 वर्ष

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, उ0नि0 अभिषेक कुशवाहा, उ0नि0 प्रदीप बाजपेयी, उ0नि0 शशि सिंह मय हमराह पुलिस बल, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा साहस, सतर्कता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए उक्त कार्यवाही सफलतापूर्वक संपन्न की गई।